

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

91/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2023/262

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

पुष्पादेवी पुत्री किस्तुराराम

जाति जाट

निवासी मुकनोणियों की ढाणी, भीमड़ा

तहसील बायतु नवसृजित

तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

1. अशोककुमार बंसल पुत्र भगवानदास
बंसल जाति अग्रवाल
निवासी बालोतरा व तहसील पचपदरा
2. छगनराज पुत्र गेराराम
जाति खारवाल निवासी पचपदरा
3. दिनेश पुत्र दयाराम जाति खारवाल
निवासी पचपदरा
4. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सोनी
निवासी जैन न्याति न्यौहरा के पास
ढाणी बाजार बाड़मेर
5. रेखाराम पुत्र मगाराम जाति जाट
निवासी कोलू तहसील बायतु
6. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादीनी
2. श्री जालमसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 6 एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 28.11.2024



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद

मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 3.0351 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 21.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्राथमिक डिक्री अनुरार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करने की सहमति दी गई। जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 3.0351 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	बरंग
1	छगनराज पुत्र गेराराम हिस्सा पूर्ण जाति खारवाल सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	195	1.5176	A
2	पुष्पा पुत्री किस्तुराराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मुकनाणियों की ढाणी भीमडा तहसील बायतु खातेदार	मंडापुरा	195	0.2529	B
3	मदनलाल पुत्र रामचंद हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा. बाड़मेर खातेदार	मंडापुरा	195	0.2529	C
4	रेखाराम पुत्र मगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. कोलू तहसील बायतु खातेदार	मंडापुरा	195	0.2529	D
5	दिनेश पुत्र दयाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारवाल सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	195	0.3794	E
6	अशोककुमार बंसल पुत्र भगवानदास बंसल हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल सा. बालोतरा खातेदार	मंडापुरा	195	0.3794	F



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें।


(अशोक कुमार) 28/01/2016

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/01/2016 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर 28/01/2016
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 91/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/262

वादीनी

बनाम

प्रतिवादीगण

पुष्पादेवी पुत्री किस्तुराराम

जाति जाट

निवासी मुकनोगियों की ढाणी, भीमड़ा

तहसील बायतु नवसृजित

तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

1. अशोक कुमार बंसल पुत्र भगवानदास बंसल
जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा व तहसील
पचपदरा2. छगनराज पुत्र गेराराम जाति खारवाल
निवासी पचपदरा3. दिनेश पुत्र दयाराम जाति खारवाल
निवासी पचपदरा4. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सोनी
निवासी जैन न्याति न्यौहरा के पास ढाणी
बाजार बाड़मेर5. रेखाराम पुत्र मगाराम जाति जाट
निवासी कोलू तहसील बायतु6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:-91/2023

निर्णय दिनांक :-28.1.2026

वादीनी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से श्री जालमसिंह राठौड़ अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 व 6 एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.01.2026 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार) 28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीनी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	_____	5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	_____	जोड़	_____



asup
 28/01/2016
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 (S.D.O.) बालोतरा